17

रेल अभिसमय समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें रेल अभिसमय समिति से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों सुस्थापित परम्पराओं और पूर्व निर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

17

रेल अभिसमय समिति

गठन

रेल अभिसमय समिति में 18 सदस्य होते हैं जिनमें से अध्यक्ष द्वारा लोक सभा से 12 सदस्यों और सभापति, राज्य सभा द्वारा राज्य सभा से 6 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। रेल मंत्री* तथा वित्त मंत्री* को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

नामनिर्देशन की प्रक्रिया

2. लोक सभा के गठन के तत्काल बाद रेल मंत्री, अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के 12 सदस्यों को रेल अभिसमय समिति में

*पहली बार वित्त मंत्री को रेल अभिसमय समिति (1989) में सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया। 10 नवम्बर, 1990 को केन्द्र में सरकार के परिवर्तन के बाद, नए रेल मंत्री को भी समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया और भूतपूर्व रेल मंत्री समिति के सदस्य के रूप में अपने पद पर बने रहे। रेल अभिसमय समिति (1991) में रेल मंत्री और वित्त मंत्री को क्रमशः 18 अप्रैल, 1994 और 18 मई, 1994 से समिति का सदस्य नामित करके पूर्व प्रथा को पुनर्जीवित किया गया। रेल अभिसमय समिति (1996) में केवल रेल मंत्री को ही समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। रेल अभिसमय समिति (1998, 1999, 2004 और 2009) में दोनों में से किसी भी मंत्री को सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया था।

1

नामनिर्दिष्ट करने के लिए संकल्प रखते हैं। प्रस्ताव के स्वीकृत होने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्री और लोक सभा में विभिन्न ग्रुपों के नेताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अध्यक्ष को विचार हेतु अपनी सदस्य संख्या के अनुसार अपने दलों के सदस्यों के नाम भेजें। दलों/ग्रुपों से सदस्यों के नाम प्राप्त होने पर अध्यक्ष लोक सभा से 12 सदस्यों का नामनिर्देशन करता है और उनके नाम समाचार भाग-दो में प्रकाशित किये जाते हैं।

राज्य सभा के सदस्यों को सहयोजित करना

3. जब लोक सभा के सदस्यों का नामनिर्देशन करने के लिए संकल्प रखा जाता है तब उसी के साथ-साथ लोक सभा में एक और प्रस्ताव भी रखा जाता है जिसमें राज्य सभा से सिफारिश की जाती है कि वह समिति में सहयोजित किये जाने के लिए उस सभा के 6 सदस्यों का नामनिर्देशन करे। स्वीकृत किये जाने के पश्चात् यह प्रस्ताव राज्य सभा को संदेश द्वारा प्रेषित किया जाता है। राज्य सभा लोक सभा की सिफारिश पर अपनी सहमति देती है और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नामों की सूचना लोक सभा को भेजी जाती है।

सभापति की नियुक्ति

4. समिति के/की सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।

समिति का कार्यकाल

5. लाभांश की दर संबंधी अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद समिति कार्यमुक्त हो जाती है।

समिति के कृत्य

6. रेल अभिसमय समिति रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अन्य अनुषंगी मामलों की पुनरीक्षा करती है और उन पर सिफारिशें देती है। यह रेल की विभिन्न निधियों जैसे कि मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पूंजीगत निधि, पेंशन निधि, आदि के विनियोजन के लिए भी सुझाव देती है। सभा या अध्यक्ष समिति को रेल या रेल वित्त से संबंधित लोक महत्व के तदर्थ मामले भी भेज सकता है।

वर्ष 1949, 1954, 1960 तथा 1965 की रेल अभिसमय समितियों ने अगले पांच वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा देय लाभांश की दर निर्धारित करने के विषय तक ही अपने आपको सीमित रखा। वर्ष 1971 से रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर की सिफारिश करने के अलावा, रेल अभिसमय समितियां ऐसे विषयों को जांच के लिए तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी लेती आई हैं जिनका रेलवे तथा रेल वित्त के कार्यचालन पर प्रभाव होता है।

जांच के लिए विषयों का चयन

7. समिति का गठन होते ही यह रेलवे कार्यचालन/रेलवे द्वारा सामाजिक तथा रक्षा दायित्वों के निर्वाह से जुड़े हुए मामलों से संबंधित विषयों को अपनी जांच के लिए चुनती है।

सरकार से सूचना मांगना

8. समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा कागजात तथा रिकार्ड मंगाने की शक्ति है। विषयों के चुने जाने के पश्चात् रेल मंत्रालय तथा अन्य संबंधित विभागों को समिति के सदस्यों की जानकारी के लिए चुने गए विषयों से संबंधित ज्ञापन तथा अन्य सामग्री भेजने के लिए कहा जाता है। कभी-कभी समिति राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित गैर-सरकारी व्यक्तियों/संगठनों से भी ज्ञापन आमंत्रित करती है।

जहां तक रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर का संबंध है, समिति रेलवे के वित्त आयुक्त से ज्ञापन मांगती है। इसमें, ज्ञापन में दिये गये विभिन्न प्रस्तावों पर रेल मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय दोनों के विचार होते हैं।

अध्ययन दौरे

9. यदि समिति को ऐसा लगता है कि इसकी जांच के लिए तत्स्थानिक दौरा करना अनिवार्य है तो समिति किसी विशेष

मामले/परियोजना आदि का अध्ययन करने के लिए दौरे करती है। अध्ययन दल द्वारा दौरा किये जाने वाले संगठनों/कर्मशालाओं/प्रतिष्ठानों के बारे में टिप्पण रेल मंत्रालय से पहले ही मंगवा लिये जाते हैं और उन्हें समिति के सदस्यों को भेजा जाता है। समिति इन्हीं टिप्पणों के आधार पर रेल अधिकारियों आदि के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श करती है। प्रत्येक अध्ययन दौरा अध्यक्ष के विशिष्ट अनुमोदन से किया जाता है।

अधिकारियों का साक्ष्य

10. समिति बाद में जांचाधीन विषयों पर रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधितों का मौखिक साक्ष्य लेती है।

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

11. किसी विषय के बारे में समिति के निष्कर्ष उसके प्रतिवेदन में होते हैं जिसे समिति द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् सभापति द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर भी रखी जाती है। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में दिया जाता है। समिति के प्रतिवेदनों को सदस्यों की सम्मति द्वारा स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार प्रतिवेदन में विसम्मति टिप्पण जोड़ने की कोई प्रथा नहीं है।

रेल मंत्री द्वारा पेश किये गये एक संकल्प के आधार पर लाभांश की दर संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर सभाओं द्वारा विचार किया जाता है। समिति के अन्य प्रतिवेदनों पर साधारणतया सभा में विचार-विमर्श नहीं किया जाता।

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

12. लोक सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात्, प्रतिवेदन को रेल मंत्रालय तथा उन अन्य संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाता है जिन्हें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा निष्कर्षों पर कार्यवाही करनी होती है और 6 महीने के भीतर की-गई-कार्यवाही के संबंध में उत्तर भेजने होते हैं। समिति द्वारा सरकार के उत्तरों की जांच की जाती है और उसके बाद संसद की दोनों सभाओं में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, लाभांश दर संबंधी प्रतिवेदन पर अलग से कोई की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है। लाभांश दर संबंधी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के की-गई-कार्यवाही टिप्पणों को अगले वर्ष के लाभांश दर संबंधी प्रतिवेदन में संलग्न किया जाता है।

[समिति का कार्यचालन लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 253 से 286 तथा लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 48 से 73 द्वारा नियंत्रित होता है।]